सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—2022 / 433 दर्ज तिथिः—02.09.2022

1. जेठी देवी पुत्री हनुमानराम पत्नी दुर्गाराम
   जाति जाट निवासी खारिया खुर्द तहसील नोखडा हाल निवासी अमरपुरा लुणा कलां तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत कोशलू जरिये सरपंच
2. रामाराम पुत्र नारणाराम
3. पोकरराम पुत्र नारणाराम
   जाति जाट निवासी खारिया खुर्द तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

.....असल प्रत्यर्थी

4. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
5. तहसीलदार नोखडा।

.....तरतीबी प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः— श्री जोगराज पोटलिया
प्रत्यर्थीः— श्री भाखराराम विश्नोई
श्री मोहनलाल विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज. भू—राजस्व अधिनियम—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—09.06.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा 401 / 88 / 9.7080 है0 मौजा खारिया खुर्द तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के पूर्वज चूनी देवी पत्नी नारणाराम की खातेदारी आराजी थी। चूनीदेवी पत्नी नारणाराम के तीन पुत्र रामाराम पुत्र नारणाराम, हनुमानराम पुत्र नारणाराम व पोकरराम पुत्र नारणाराम तथा एक पुत्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

जेतीदेवी पुत्री नारणाराम वारिस हैं। हनुमानराम पुत्र नारणाराम की मृत्यु चूनीदेवी की मृत्यु से पूर्व हो गई थी। हनुमानराम पुत्र नारणाराम की वारिस अपीलार्थी जेठीदेवी पुत्री हनुमानराम है। इस प्रकार अपीलार्थी जेठीदेवी पुत्री हनुमानराम चूनीदेवी की वैध वारिस है। अपीलार्थी का हिन्दू पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—

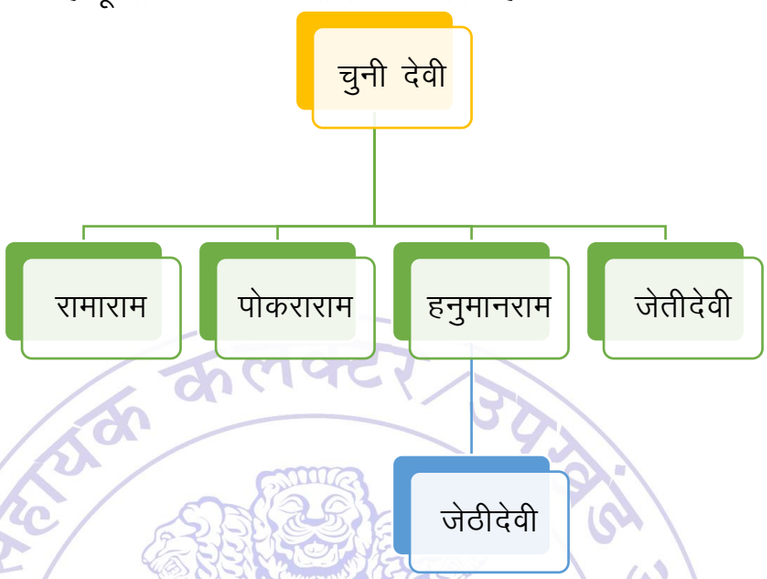

2. प्रकरण में चूनीदेवी पत्नी नारणाराम के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा केवल रामाराम पुत्र नारणाराम व पोकरराम पुत्र नारणाराम के नाम गलत रूप से दर्ज किया गया। जबकि अपीलार्थी जेतीदेवी पुत्री हनुमानराम को चूनीदेवी पत्नी नारणाराम का वारिस नहीं मानकर नामांतरकरण फैसल कर दिया गया।

3. इस प्रकार ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा राजस्व नियमों का उल्लंघन कर, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अधिकार प्रदान करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 स्वीकार किया गया है। हिन्दू सुस्थापित सिद्धांत है कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के प्रथम श्रेणी के वारिसों को निर्वसीयती फौत हिन्दू की संपति में सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त होते है। अगर किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है उस स्थिति में द्वितीय श्रेणी के वारिसों को निर्वसीयती फौत हिन्दू की संपति में सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त होते है। प्रकरण में अपीलार्थी हनुमानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 हनुमानाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा हनुमानाराम की विरासत अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के विपरीत दर्ज की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी के हनुमानराम की प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बाद भी विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर गलत रूप से स्वीकृत किये गये आदेश को निरस्त किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के 1/3 हिस्से के अधिकार मानते हुए पुनः नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया गया है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी बाद तामिल उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 को ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा अपीलार्थी के हनुमानराम की प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बाद भी विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर गलत रूप से स्वीकृत किये गये आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के 1/3 हिस्से के अधिकार मानते हुए पुनः नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया गया है।

5. मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। प्रकरण में अपीलार्थी के पिता का अपनी माता चूनीदेवी की सम्पत्ति में अन्य पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के समान हित व अधिकार निहित होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के अनुसार मृतक चूनीदेवी कौम जाट के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के अनुसार हिन्दू होने के कारण चूनीदेवी कौम जाट की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 द्वारा निर्धारित वारिसों के दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***8. General rules of succession in the case of males.—***
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

6. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

धारा—09 तथा धारा—10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*** *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

7. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिस एक साथ समान भाग प्राप्त करते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

8. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

9. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है—

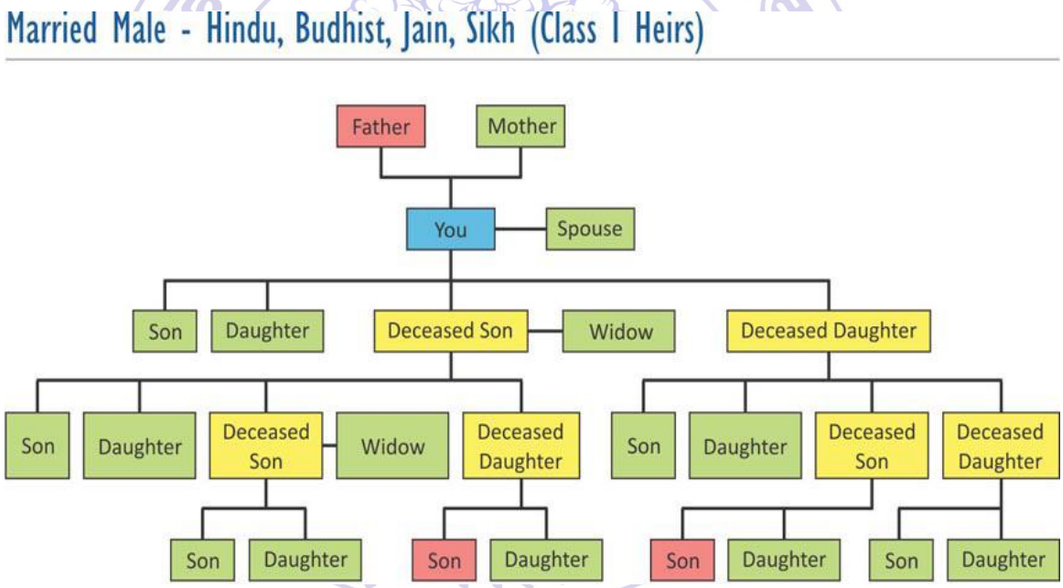

10. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है। प्रकरण में अपीलार्थी प्रकरण में अपीलार्थी हनुमानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 हनुमानाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। अतः अपीलार्थी के पिता की सम्पत्ति में अपीलार्थी के एकल हित व अधिकार निहित हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रकरण में अपीलार्थी हनुमानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 हनुमानाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा हनुमानाराम की विरासत अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के विपरीत दर्ज की है।

12. प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/1441 दिनांक 06.09.2024 द्वारा रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा की विरासत की जांच तहसीलदार नोखड़ा से चाही गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1846 दिनांक 10.12.2024 द्वारा उक्त जांच प्रेषित की गई। उक्त जांच के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक चूनीदेवी के चार वारिस है जिनमें रामाराम पुत्र चूनीदेवी, पोकराराम पुत्र चूनीदेवी, हनुमानराम पुत्र चूनीदेवी व जेतीदेवी पुत्री चूनीदेवी है। हनुमानराम की मृत्यु चूनीदेवी की मृत्यु से पूर्व हो चूकी है। हनुमानराम की एकमात्र व प्रथम श्रेणी की वारिस अपीलार्थी है। प्रकरण में अपीलार्थी हनुमानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 हनुमानाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा हनुमानाराम की विरासत अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के विपरीत दर्ज की है। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा फैसल कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा गलत फैसल कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का भी उल्लघंन किया गया है।

13. इसके साथ ही नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया व प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

121. **General instructions.-**

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance. the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberan Fallan Raqba Fallan Manzor Hai" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.

14. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैंः—

प्रक्रिया	प्रावधान
1	*The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.*
2	*The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,*
3	*the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,*
4	*what opportunity was given to him to present,*
5	*who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.*
6	*but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,*
7	*the facts which they deposed and the grounds of the order.*
8	*The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.*

15. प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उक्त प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विश्लेषण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया	विश्लेषण
The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है
The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों के विवरण तथा उनकी उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

	गई है।
the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
what opportunity was given to him to present,	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों को प्रदान किये गये सुनवाई/उपस्थिति के अवसरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों की उपस्थिति की परिस्थिति में पक्षकारों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों/व्यक्तियों से फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच/जिरह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the facts which they deposed and the grounds of the order.	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय के तथ्यों/आधारों के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.	नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के ऑपरेटिव भाग के संक्षिप्त विवरण के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

	की गई है।

16. इस प्रकार प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 ग्राम पंचायत कौशलू के उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10. 12.2015 को फैसल करते समय ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

17. इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी हनुमानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 हनुमानाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा हनुमानाराम की विरासत अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के विपरीत दर्ज की है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंचायत द्वारा उक्त नामांतरकरण को स्वीकार करते समय उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 को फैसल करते समय ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

18. इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 पर ग्राम पंचायत कौशलू की दिनांक—10.12.2015 की कार्यवाही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध स्वीकृत किये जाने के कारण निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10. 12.2015 पर ग्राम पंचायत कौशलू की दिनांक—10.12.2015 की कार्यवाही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 पर ग्राम पंचायत कौशलू की दिनांक—10.12.2015 की कार्यवाही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 560 दिनांक 10.12.2015 पर ग्राम पंचायत कौशलू की दिनांक—10.12.2015 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार नौखडा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी का नामांतरकरण तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1846 दिनांक 10.12.2024 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में अंकित सजरे के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार निर्धारित हक हिस्से के अनुसार दर्ज करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:04 IST
Reason: SelfAttested